तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दावा बाबत :— बंटवारा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

बीरमाराम बनाम बीतराम 2020/00202

पीठासीन अधिकारी

श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी

श्री शैतानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 05.01.2022

वादी ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम जंजीला के खाता संख्या 92 खसरा नम्बर 324, 325 कुल रकबा 4.78 हैक्टयर, खाता संख्या 352 खसरा नम्बर 317, 328, 330, 331 कुल रकबा 8.24 हैक्टयर, खाता संख्या 351 खसरा नम्बर 364, 365 कुल रकबा 2.84 हैक्टयर, तथा खसरा नम्बर 382 रकबा 3.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 384 रकबा 1.78 हैक्टयर, खसरा न्म्बर 383 रकबा 3.08 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 380 रकबा 0.01 हैक्टयर व खसरा नम्बर 381 रकबा 2.74 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक, खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि है। खाता संख्या 92 की भूमि में खातेदार महरिया पुत्र बन्नाराम के विधिक वारिसान प्रतिवादी 26 से 27 है खातेदार महरिया का नाम उक्त जमीन में नुमाईशी चला आ रहा है जो वर्षो पूर्व गोद चले गये तथा ग्राम गेढ़ाकला तहसील मकाराना में ही निवास कर रहे है जिससे इस भूमि में महरिया पुत्र बन्नाराम का कोई हक हिस्से नहीं है इसमें वादी व प्रतिवादी 1 से 25 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी 28 से 39 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी 40 का 1/4 हिस्सा मौके पर कब्जे काश्त में है। खाता संख्या 351, 352, 278, 185, 93, 363 में वादी व प्रतिवादीगण जमाबन्दी अनुसार खातेदार है जिनका मौके पर कब्जा काश्त खातेदारी अनुसार है मौके पर सभी के रास्ते की सुविधा कर रखी है उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने हेतु व बंटवारा हेतु वाद पेश किया है। खाता संख्या 92 में महरिया पुत्र बन्नाराम का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी 1 से 25 की खातेदारी में घोषित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करने तथा प्रतिवादी 40 भैरूराम पुत्र प्रभूराम की जाति जाट के बजाय मेघवाल जमाबन्दी में लिपिकीय भूल अंकित हो गयी है तथा खता संख्या 363 में रामाराम पुत्र बन्नाराम के बजाय रामूराम पुत्र कानाराम सही नाम रेकार्ड में दर्ज दुरूस्ती करने का निवेदन किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 24 व 28 से 49 ने जरिये अधिवक्ता इकबालिया

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

जबाबा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी 26, 27 के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तामील होकर प्राप्त होने व प्रतिवादी 25 पूर्व में स्वंय उपस्थित होने के बाद लगातार अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील वादी साक्ष्य में वादी के बयान करवाये गये ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया विधिक के सुसंगत प्रावधानों पर एंव बहस पर मनन किया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2075–78 प्रदर्श– 2 में खाता संख्या 92 के खसरा नम्बर 324, 325 कुल रकबा 4.78 हैक्टयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है, जिसमें कम संख्या 39 पर महरिया पुत्र बन्नाराम 1/24 हिस्सा दर्ज है जो प्रतिवादी 26 व 27 के पूर्वज है। वाद पत्र में दिये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण एक ही खानदान से है। खाता संख्या 352 वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में है, खाता संख्या 278 प्रतिवादी 19 से 24 की खातेदारी में दर्ज है खाता संख्या 93 वादी व प्रतिवादी 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज है, खाता संख्या 363 रामाराम पुत्र बन्नाराम जाट के का नाम दर्ज है जिसका वास्तविक नाम रामूराम पुत्र कानाराम जाट है जो प्रतिवादी 25 के रूप में वाद में दर्ज है, खाता संख्या 185 रकबा 3.08 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 8, 9, 10 व 15 से 18 की खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या 351 वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं तथा दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है, प्रतिवादी 1 से 24 व 28 से 49 ने सहमती दी है तथा शेष प्रतिवादीगण सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहे है तथा वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ विड्रोवल कर केवल खातेदारी में दर्ज हक हिस्से अनुसार सभी खातेदारो के हक हिस्से की भूमि में रास्ता छोड़ते हुऐ बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करने की इस्तदुआ की है। वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजीयत के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है जिनको अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करवा कर अलग अलग होल्डिंग कायम करवाने का कानूनी अधिकार है। जिससे वादी का वाद दिनांक 11.08.2021 प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार परबतसर से बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया।

तत्पश्चात पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प जंजीला में नियत की गई। कैम्प में नायब तहसीलदार, परबतसर व भू–अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारा द्वारा मौके पर जाकर रूबरू उभय पक्षकारो के बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिसको उभय पक्षकारो ने पढ़ , सुन एवं समझ कर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

सही होना स्वीकार किया है तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार बंटवारा किया जाकर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। जिससे वादी का स्वीकार किये जाने योग्य है।

- अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम जंजीला के खाता संख्या 92, 352, 351, 363, 93, 185, 278 में बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित रास्ते व कुए की भूमि को संयुक्त खातेदारी में रखते हुए शेष भूमि का बंटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 से 49 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर अलग – अलग होल्डिंग कायम की जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प डुयूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/01/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)